

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 152 /2016-2017 दिनांक 07 मई, 2016

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233/XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे-4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता- अर्थशास्त्र (महिला शाखा) के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क० सं०	अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	वर्तमान पद एवं विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	04	05	06
1	श्रीमती विद्या दुर्गापाल	रा०क०इ०का० टनकपुर चम्पावत	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० पन्तरनगर उधम सिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती बीना साह	रा०क०इ०का० हल्द्वानी नैनीताल	स०अ० हिन्दी	रा०बा०इ०का० नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती पूर्णिमा पाण्डे	रा०बा०इ०का० जैंती अल्मोड़ा	स०अ० गणित	रा०बा०इ०का० बेतालघाट नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती शिखा पाण्डे	रा०क०इ०का० बाड़ेछीना अल्मोड़ा	स०अ० व्यायाम	रा०बा०इ०का० एन०टी०डी० अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती नरेश मल्होत्रा	रा०क०इ०का० जसपुर उ०सि०न०	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० महुवाखेड़ा गंज उधमसिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती ममता मेहता	रा०क०उ०मा०वि० क्वैराला सल्ट अल्मोड़ा		रा०बा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती निवेदिता शीला	रा०क०उ०मा०वि० किलकिलेश्वर, टिहरी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० ऋषिकेश देहरादून	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती कान्ती तिवाड़ी	रा०क०इ०का० गोपेश्वर चमोली	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० गोपेश्वर चमोली	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती अनीता ह्यांकी	रा०क०इ०का० भवाली नैनीताल	तदर्थ प्रवक्ता	रा०बा०इ०का० स्याल्दे अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती शकुन्तला रतूड़ी	रा०क०इ०का० लक्खीबाग देहरादून	स०अ० कला	रा०बा०इ०का० पैडुल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
11	श्रीमती विजय साहनी	रा०क०इ०का० हल्दूचौड़, नैनीताल		रा०बा०इ०का० काकड़ चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती अनीता वर्मा सिंह	रा०क०इ०का० सरकोट ताकुला अल्मोड़ा	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० इकबालपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती राधिका सेन	रा०क०इ०का० ऐचोली पिथौरागढ़	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० थल पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती चन्द्रप्रभा काण्डपाल	रा०क०इ०का० ताड़ीखेत अल्मोड़ा	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० दौलाघट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती बिन्दु शाह	रा०उ०मा०वि० धरमपुर उधमसिंह नगर	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० चमदेवल चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
16	हेमलता वर्मा	रा०क०उ०मा०वि० एन०टी०डी० अल्मोड़ा	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० भिकियासैण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती फहामीदा खातून	रा०क०इ०का० खटीमा उ०सि०न०	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० खटीमा उ०सि०नगर	रिक्त पद के प्रति
18	श्रीमती योगेश्वरी काण्डपाल	रा०क०इ०का० कोटाबाग, नैनीताल	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० बैलपड़ाव नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

15

1

19	श्रीमती लीलावती आर्य	रा0क0इ0का0 रानीखेत अल्मोड़ा	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 ताड़ीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
20	श्रीमती लक्ष्मी सत्यवती	रा0क0इ0का0 काशीपुर उ0सि0न0		रा0बा0इ0का0 काशीपुर उधमसिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
21	श्रीमती संगीता बिष्ट	रा0बा0इ0का0 हल्द्वानी नैनीताल	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 काण्डा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
22	श्रीमती राजकुमारी वर्मा	रा0क0इ0का0 दिनेशपुर उ0सि0न0	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 दन्या अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
23	श्रीमती रेनू शाह	रा0क0इ0का0 उत्तरकाशी		रा0बा0इ0का0 चम्बा टिहरी	रिक्त पद के प्रति
24	श्रीमती कुसुम बहुगुणा	रा0उ0मा0वि0 मेहूवाला खालसा देहरादून	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 लैन्सडाउन पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
25	श्रीमती गीता लोहनी	रा0क0इ0का0 भवाली, नैनीताल	स0अ0 व्यायाम	रा0बा0इ0का0 जयन्ती अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
26	श्रीमती कुसुम बडोनी	रा0क0इ0का0 पौड़ी	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 सधीपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
27	श्रीमती सीमा साह	रा0बा0इ0का0 रामगढ़ तल्ला, नैनीताल	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
28	श्रीमती शोभा रानी आर्य	रा0क0इ0का0 भवाली नैनीताल	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 कालाडुंगी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
29	श्रीमती कृष्णा आर्या	रा0क0उ0मा0वि0 फूलचौड़, नैनीताल	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
30	श्रीमती गीता बिष्ट	रा0क0उ0मा0वि0 गांधीनगर नैनीताल	स0अ0 सामान्य	रा0बा0इ0का0 रामनगर नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 1486/एस0एस0/ 2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 1487/एस0एस0/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।


(बी0एस0 नेगी)
प्रभारी अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0 सं0 सेवा-2/अराज0/ 4025-38 /2016-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।

- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदापि लापरवाही न बरती जाय।
- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निम्नांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें—
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न करायें।
- (च) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें।
- (छ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (ज) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें।
कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भांति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तर-10 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।


 (यू०डी० गोस्वामी)
 उप निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।